

Concept of special Education:-

विशेष शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि कोश विधीय की उसकी शारीरिक अपामान्यता के अनुरूप प्रदान की जाती है।

विशेष बालक वह होती है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में कोश से विन्न होती है।

Dr. J. Hunt के अनुसार:-

विशेष बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने भिन्न हैं कि उनके सामान्यता के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है।

साधारण शालों में विशेष शिक्षा से अनभिज्ञता इस शिक्षा से है जो विशेष बालकों को दी जाती है। विशेष जो प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों को दी जाती है।

Definition of special education:-

Prof. S.K. Dubey के अनुसार:-

विशेष शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से है, जो सामान्य स्तर के बच्चों से अल्पिक या कम मानसिक एवं शारीरिक स्तर के बच्चों को प्रदान की जाती है।

श्रीमती R.K. Sharma के अनुसार:-

विशेष शिक्षा उन सभी बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, जो विद्यार्थी व्यवस्था में उचित कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। 2017

Own mind के अनुसार :-

विशेष शिक्षा किसी एक बच्चे के बच्चों के लिए नहीं होती बल्कि उन सभी बच्चों के लिए होती है, जिनकी उमर आवश्यकता होती है।

विशेष शिक्षा का विशेषताएँ
Characteristics of special Education :-

(i) विशेष शिक्षा उन बच्चों के लिए होती है, जो कि एक निश्चित शैक्षिक वातावरण में सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं।

(ii) विशेष शिक्षा की संख्या में बच्चों की संख्या एवं मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(iii) विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं विधियाँ सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं विधियों से भिन्न होता है।

(iv) विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक अक्षमता से युक्त बच्चों के लिए ही होती है।

(v) विशेष शिक्षा/साधारण शिक्षा का एक रूपान्तर है।

(vi) विशेष शिक्षा यौगनायुक्त एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है।

विशेष शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)

(i) प्राथमिक विद्यालयों द्वारा बच्चों की विशेषता को पहचान करना तथा उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना।

- (ii) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों को लागू करना, जिससे बच्चों का अधिष्ठान स्तर उच्च हो सके।
- (iii) सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिष्ठान बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना।
- (iv) विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के सहभागी क्रियाओं का संयोजन करके बच्चों का बहुमुखी विकास पर ध्यान देना।
- (v) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को आरक्षण प्रदान कर अभाव देना जिससे की उच्च शिक्षा प्राप्त की जासकती है प्राप्त कर सके।
- (vi) सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रिया (Research programme) को अभाव देना जिससे नवीन ज्ञान की खोज कर सके और विधियों का प्रयोग कर सके।
- (vii) विशिष्ट शिक्षण प्रविशालों में बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना होगा- यह है।